586 website

राजस्थान–सरकार

कार्यालय : महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज, 'कर भवन' अजमेर

क्रमांक :– एफ–1 (5) लेखा/रा.रि./विविध/2015–16/ 132 दिनांक 8/07/2015

8/7/15

–: परिपत्र :–

प्रायः यह पाया गया है कि उप पंजीयक कार्यालयों से प्राप्त रिफण्ड प्रकरणों की वृत स्तर पर जाँच किये बिना ही मुख्यालय को प्रेषित कर दिये जाते है तथा प्रकरण के साथ भेजी गई चैक लिस्ट में रिफण्ड का पूर्ण औचित्य नहीं दिया जाता है। जिससे प्रकरण में कमियों की पूर्ति कराने के लिए बार–बार पत्राचार करना पडता है। रिफण्ड स्वीकृति में विलम्ब होने पर अनेक प्रार्थियो द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, जिनका निस्तारण कराकर सूचना मुख्यालय को प्रेषित करानी होती है। राजस्व रिफण्ड स्वीकृति के क्रम में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर निर्देष जारी कर उनकी पालना सुनिश्चित करने हेतु आपको लिखा जाता है, परन्तु आप द्वारा इनकी पूर्ण पालना नहीं की जा रही है।

अतः लेख है कि राजस्व रिफण्ड स्वीकृति के प्रकरणों को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. विभाग के परिपत्र सं. 20/2015 दिनांक 17.06.2015 (विभाग की साईट पर उपलब्ध है) द्वारा राजस्व रिफण्ड के प्रकरणों की प्रकृति एंव रिफण्ड की प्रकिया बाबत् परिपत्र जारी किया हुआ है जिसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।
2. वृत कार्यालयों द्वारा पंजीयन शुल्क के रिफण्ड प्रकरण भी मुख्यालय को प्रेषित करा दिए जाते है जबकि पंजीयन शुल्क के रिफण्ड हेतु जिला पंजीयन सक्षम प्राधिकारी है। अतः भविष्य में इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
3. मुख्यालय के पत्रांक एफ–1 (5) लेखा/रा.रि./विधिक/15–16/40–52 दिनांक 21.05.2015 द्वारा राजस्व रिफण्ड के प्रकरणों में पुनः मार्गदर्शन जारी किया गया है अतः इनकी पालना सुनिश्चित की जावें।
4. वृत कार्यालय द्वारा प्रेषित राजस्व रिफण्ड प्रकरणों में अधिक जमा मुद्रांक कर, सरचार्ज आदि के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की गलती बताकर सहवन से अधिक राशि जमा होने का कारण अंकित कर दिया जाता है जो कि सही नही है। विभाग के परिपत्र कमांक 27/2015 दिनांक 17.06.2015 (विभाग की साइट पर उपलब्ध) द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों में उप पंजीयक, पंजीयन लिपिक के कार्य निर्धारित है। अतः कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज के पंजीयन हेतु कम्प्यूटर से तैयार की गई चैक लिस्ट में पंजीयन शुल्क, मुद्रांक शुल्क एवं सरचार्ज आदि की गणना सही है या नहीं इसकी जांच का पूर्ण उतरदायित्व उप पंजीयक एंव पंजीयक लिपिक का है। भविष्य में अधिक जमा के लिए संबंधित उप पंजीयक/पंजीयक लिपिक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर भिजवाया जावें तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही के प्रस्ताव भी रिफण्ड प्रकरण के साथ भिजवाये जावें।
5. रिफण्ड प्रकरण के साथ यह प्रमाण पत्र भी भिजवाया जावे कि संबंधित प्रार्थी के विरूद्व विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।

भविष्य में उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही रिफण्ड प्रकरण मुख्यालय को भिजवाए जावें।

sd/-
(के.बी.गुप्ता)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।

क्रमांक :– एफ–1 (5) लेखा/रा.रि./विविध/2015–16/ 133 – 150 दिनांक 8/07/2015

प्रतिलिपि :– 1. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
2. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, वृत–कार्यालय।
3. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, मुख्यालय अजमेर।
4. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय अजमेर को विभाग की वेबसाइट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।